

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

जय सिंह,
सचिव।

सेवा में,

ई-मेल

सभी समाहर्ता,
बिहार।

पटना-15, दिनांक-16/09/26

विषय :- राज्यान्तर्गत मेलों के आयोजन हेतु राशि की अधियाचना के संबंध में।
महाशय,

आप अवगत है कि राज्यान्तर्गत राजकीय घोषित/बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन में सम्मिलित एवं अन्य महत्वपूर्ण मेलों के आयोजन हेतु विभाग स्तर से राशि का आवंटन किया जाता है।

ज्ञातव्य हो कि विभागीय परिपत्र-2894(9), दिनांक-07.08.2025 द्वारा राज्यान्तर्गत आयोजित होने वाले मेलों के आयोजन हेतु विभाग स्तर से राशि आवंटित किये जाने हेतु मानक का निर्धारण किया गया है। उक्त परिपत्र की कंडिका-3 में मेला के प्रकार, मेला आयोजन की अवधि तथा उसमें भाग लेने वाले श्रद्धालुओं की संख्या के आधार पर मेला को तीन श्रेणियों (श्रेणी-A, श्रेणी-B एवं श्रेणी-C) में वर्गीकृत किया गया है एवं तदनुसार उक्त मेला हेतु आवंटन की अनुमानित राशि की अधिसीमा तय की गई है। उक्त परिपत्र के परिशिष्ट-2 में (पत्रांक-1577(9), दिनांक-15.06.2026 द्वारा यथा संशोधित) इस विभाग द्वारा मेला आयोजन हेतु स्वीकृत/आवंटित राशि का व्यय किये जाने हेतु विभिन्न मदों एवं कार्यों की सूची दी गई है। इसी प्रकार परिशिष्ट-3 में मेला आयोजन हेतु सरकार के संबंधित अन्य विभागों का विषय, दायित्व एवं आवंटित कार्यों की विवरणी अंकित है।

विभागीय पत्रांक-330(9), दिनांक-10.02.2026 तथा विभागीय पत्रांक-1547(9), दिनांक-12.06.2026 द्वारा भी राज्यान्तर्गत मेलों के आयोजन हेतु राशि की अधियाचना एवं आवंटित राशि का व्यय किये जाने के संबंध में निदेश संसूचित है। परन्तु, विभिन्न मेलों के आयोजन हेतु जिला स्तर से प्राप्त होने वाले अधियाचना प्रस्ताव में उक्त विभागीय परिपत्र/पत्रों में निहित दिशा-निदेशों का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया जा रहा है। मेला के आयोजन एवं व्यवस्था हेतु प्रायः अत्यधिक बढ़ा-चढ़ा कर राशि की मांग की जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों को आवंटित कार्यों के लिए भी राशि की मांग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से की जाती है। यह नियमानुकूल नहीं है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग हेतु आवंटित कार्यों/दायित्वों के लिए ही राशि की अधियाचना की जानी चाहिए एवं तदनुसार निर्धारित मदों में ही उसका व्यय किया जाना चाहिए। अन्य विभागों के लिए आवंटित विषयों/कार्यों पर व्यय हेतु संबंधित विभाग से राशि अधियाचित किया जाना उचित है। साथ ही, मेला आयोजन हेतु राशि की अधियाचना एवं आवंटित राशि के व्यय में मितव्ययिता के सिद्धांत का पालन किया जाना अपेक्षित है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में राज्यान्तर्गत मेलों के आयोजन हेतु राशि की अधियाचना प्रेषित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
सचिव।

8-मैम
✓

ज्ञापांक-9/सै0 मेला विविध-02/2024-2608(9)/रा0, पटना-15, दिनांक-16/09/26
प्रतिलिपि:-सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार एवं सभी अपर समाहर्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(जय सिंह)
सचिव
16/9/26